बिहार विधान परिषद

(200वां बजट सत्र)

Short Notice Questions For Written Answers

08 मार्च, 2022

[ऊर्जा - उद्योग - स्वास्थ्य - अल्पसंख्यक कल्याण - गन्ना उद्योग - संसदीय कार्य - विधि लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग].

Total Short Notice Question- 8

कार्रवाई पर विचार

*41 **श्री रामचन्द्र पूर्वे (विधान सभा):**

क्या **स्वास्थ्य** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(क) क्या यह सही है कि मगध प्रक्षेत्र के सबसे बड़े अस्पताल मगध मेडिकल अस्पताल, गया से एक हजार छोटे-बड़े ऑक्सीजन सिलिंडर गायब हो गये हैं;

(ख) क्या यह सही है कि सिलिंडर के गायब होने का खुलासा पटना-गया रोड स्थित कैपिटल ऑक्सीजन प्लांट के संचालक द्वारा अस्पताल प्रबंधन को भेजे गये पत्र से हुआ है;

(ग) क्या यह सही है कि कोविड- 19 की दूसरी लहर की शुरुआत में भी इस मेडिकल कॉलेज अस्पताल से 113 ऑक्सीजन सिलिंडर गायब हुए थे;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो गायब ऑक्सीजन सिलिंडर की रिकवरी के साथ इसमें संलिप्त अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ अबतक कौन-सी कार्रवाई की गई है?

क्रेडिट कार्ड योजना

*42 **डा. संजीव कुमार सिंह (कोशी शिक्षक):**

क्या **स्वास्थ्य** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(क) क्या यह सही है कि मानव स्वास्थ्य सुरक्षा के दृष्टिकोण से सूबे के कई पैरामेडिकल संस्थानों में Bachelor in Medical Lab Technology एवं Bachelor in Radio-Imaging Technology की पढ़ाई हो रही है;

(ख) क्या यह सही है कि खण्ड 'क' में वर्णित दोनों ही पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को 'बिहार स्टूडेन्ट क्रेडिट कार्ड योजना' के माध्यम से ऋण सुविधा उपलब्ध नहीं है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार लोकहित में आपातकालीन चिकित्सीय सेवा प्रदान करने हेतु ऐसे रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को भी 'बिहार स्टूडेन्ट क्रेडिट कार्ड योजना' से लाभान्वित करने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग को प्रस्ताव देने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

कार्रवाई पर विचार

*43 **प्रो. (डा.) रामबली सिंह (विधान सभा):**

क्या **लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(क) क्या यह सही है कि मुख्यमंत्री हर घर नल जल योजना के तहत सभी वार्डों में पानी के नमूनों की जांच प्रत्येक माह कराने का निर्णय लिया गया था;

(ख) क्या यह सही है कि पानी के नमूनों के जांच प्रतिवेदन को पंप आपरेटर के पास रखे रजिस्ट्रर में दर्ज करना है तथा 25% लाभुकों का हस्ताक्षर रखना अनिवार्य है, लेकिन यह नहीं हो रहा है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार दोषियों पर कार्रवाई करेगी, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

कार्रवाई पर विचार

*44 **श्री संजीव श्याम सिंह (शिक्षक गया):**

क्या **स्वास्थ्य** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(क) क्या यह सही है कि पी.एम.सी.एच., पटना में वेंटिलेटर की खरीद में लाखों रुपये का घोटाला हुआ है;

(ख) क्या यह सही है कि पी.एम.सी.एच., पटना में शिशु रोग विभाग में बिना इंस्टाल किए तीन वेंटिलेटर को स्टोर में मंगा कर 36 लाख रुपये का भुगतान कर दिया गया, जबकि आज तक वेंटिलेटर शिशु वार्ड में नहीं लगे हैं;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार दोषियों पर कार्रवाई करना चाहती है?

राशि का भुगतान

*45 **श्री सर्वेश कुमार (स्नातक दरभंगा):**

क्या **स्वास्थ्य** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(क) क्या यह सही है कि राज्य में कोरोना के कारण बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई है और उनके परिजन एवं आश्रित आर्थिक दिक्कतों समेत कई कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं;

(ख) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने उदारतापूर्वक अनुग्रह की राशि की घोषणा की है लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में कोविड से मृतक के कई परिवार ऐसे हैं जिन्हें अनुग्रह राशि का भुगतान नहीं हो पा रहा है, उदाहरण स्वरूप रोहतास जिला के दिनारा ग्रामवासी स्व. बदरूद्दीन अहमद की दिनांक – 28.04.2021 को अरविंद अस्पताल, औरंगाबाद में कोविड से मृत्यु के उपरांत उनकी पत्नी मो. शाजदा बेगम द्वारा अंचलाधिकारी, दिनारा के कार्यालय में सभी कागजात जमा कराने के बावजूद अनुग्रह राशि का भुगतान नहीं हुआ है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार शीघ्र ही ऐसे सभी मृतक के आश्रित परिजनों को राशि उपलब्ध कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक और नहीं तो क्यों?

जमीन का आवंटन

*46 **श्री नीरज कुमार (पटना स्नातक):**

क्या **उद्योग** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(क) क्या यह सही है कि पाटलिपुत्र/दरभंगा/मुजफ्फरपुर/भागलपुर के अन्तर्गत उद्योग लगाने के लिए लोगों को जमीन आवंटन की जाती है;

(ख) क्या यह सही है कि बिहार औद्योगिक विकास प्राधिकार (बियाडा) औद्योगिक क्षेत्रों में जमीन की कमी को पूरा करने के लिए प्राइवेट लैंड परचेज पॉलिसी- 2021 के तहत अधिकारियों की कमेटी भौगोलिक स्थिति के अनुसार सर्किल रेट पर आम लोगों से जमीन खरीदने वाली है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार यह बतलाएगी कि उद्योग लगाने के लिए अबतक कितने लोगों को जमीन का आवंटन किया जा चुका है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

कारगर कार्य योजना

***47 श्री प्रेम चन्द्र मिश्रा (विधान सभा):**

क्या **स्वास्थ्य** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-
क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(क) क्या यह सही है कि बिहार में कॉर्डियो वैस्क्युलर डिजीज की वजह से सर्वाधिक मौत की घटना घटित होती रहती है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त बीमारियों के मुख्य कारणों में मधुमेह तथा उच्च रक्तचाप हैं;

(ग) क्या यह सही है कि बिहार में डायबिटीज तथा उच्च रक्तचाप की व्यापक स्तर पर जांच तथा स्क्रीनिंग की कोई व्यवस्था नहीं रहने की वजह से कई गंभीर बीमारियों में होने वाली मौतों को रोकने में अपेक्षित सफलता नहीं मिल पा रही है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बताएगी कि क्या सरकार उच्च रक्तचाप तथा डायबिटीज की जांच को सर्वसुलभ बनाने हेतु किसी कारगर कार्य योजना पर विचार कर रही है और नहीं तो क्यों?

नियुक्ति का विचार कबतक

***48 डा. समीर कुमार सिंह (विधान सभा):**

क्या **स्वास्थ्य** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-
क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(क) क्या यह सही है कि स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना अन्तर्गत नियमित

नियुक्ति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक- 9481, दिनांक- 16.07.2016 द्वारा ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट एवं 15113, दिनांक- 07.11.2019 द्वारा फिजियोथेरेपिस्ट के रिक्त पदों के लिए आवेदनों की मांग की गई थी एवं काउंसलिंग की प्रक्रिया की गई;

(ख) क्या यह सही है कि सिविल याचिका सं.- 8659/2014 में दिये गये नये आदेश के अनुसार साढ़े 4 वर्षों तक लगातार स्नातक कोर्स किए छात्रों को किसी भी चयन प्रक्रिया में प्राथमिकता दी जाएगी एवं स्थान रिक्त रहने पर ही पुनः डिप्लोमा कर एब्रिज वालों को लिया जाएगा;

(ग) क्या यह सही है कि बिहार फिजियो-ऑक्यूपेशनल तकनीकी चयन सेवा आयोग के द्वारा काउंसलिंग के उपरांत बने मेधा सूची में साढ़े 4 वर्षों का स्नातक किए हुए छात्रों को दरकिनार करते हुए साढ़े 3 वर्षों का डिप्लोमा कर एक वर्ष का एब्रिज कोर्स वालों को लिया जा रहा है और साढ़े 4 वर्षों की डिग्री कोर्स वाले छात्र नियुक्ति से वंचित हो गये हैं;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खंड 'ख' में वर्णित न्यायादेश के आलोक में नियुक्ति करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक?